



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022026-270283
CG-DL-E-18022026-270283

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 815]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 17, 2026/माघ 28, 1947

No. 815]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 2026/MAGHA 28, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2026

का.आ. 855(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 6077 तारीख 29/12/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा झारखंड राज्य के गुमला जिले में NH43 के कि.मी. 0.000 से कि.मी.32.370 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 08/01/2026 को “द पायनियर” , 08/01/2026 को “अज़ाद सिपाही” दोनों में प्रकाशित किया गया था ; जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है

और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

झारखंड राज्य के गुमला जिले में NH 43 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 32.370 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: झारखंड			जिले का नाम: गुमला		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: गुमला					
गांव का नाम: चंडाली					
1	188	सरकारी (गैरमजरूआ मालिक)	परती कदिम	0.401983	गैरमजरूआ मालिक 188
2	629	सरकारी (गैरमजरूआ मालिक)	परती कदिम	0.1375961	गैरमजरूआ मालिक 629
3	630	निजी (कायमी)	टांड-III	0.0180898	रोपना ओराओं 630
4	631	निजी (कायमी)	टांड-III	0.0040469	कैरा उरांव पिता सुकु उरांव वं नारायण उरांव पिता रघुनाथ उरांव वं लितांगू उरांव पिता कैला उरांव वं बंधना वं रोगा पिता मणि उरांव 631
Total				0.5617158	

[फा. सं. NHAI/PIU/GUM/CG-JH Border/LA/3a/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2026

S.O. 855(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **6077 Dated:29/12/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH43 in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 32.370 in the district of Gumla in the state of Jharkhand.

And whereas the substance of the said notification has been published in “**The Pioneer**” dated 08/01/2026, “**Azad Sipahi**” dated 08/01/2026; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH43 in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 32.370 in the district of Gumla in the state of Jharkhand.

State: JHARKHAND			District: Gumla		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Gumla					
Village: Chandali					
1	188	Government (Gairmajarua Malik)	Parti Kadim	0.401983	Gairmajarua Malik 188
2	629	Government (Gairmajarua Malik)	Parti Kadim	0.1375961	Gairmajarua Malik 629
3	630	Private (kaymi)	Tand - III	0.0180898	Ropna Oraon 630
4	631	Private (kaymi)	Tand - III	0.0040469	Kaira Oraon Pita Sukru Oraon vo narayan oraon pita raghunath oraon vo litangu oraon pita kaila oraon vo bandhna vo rogha pita mani oraon 631
Total				0.5617158	

[F. No. NHAI/PIU/GUM/CG-JH Border/LA/3a/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director